विमानन विभाग

सूचना का अधिकार

- ICAO- International Civil Aviation Organisation के द्वारा वैश्विक विमानन विषय का नियमन व नियंत्रण किया जाता है। भारत में विमानन विषय से जुड़ी समस्त संस्थाओं का नियंत्रण केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन विमानन क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न संस्थाएं निम्नानुसार है–

1 **कार्यालय महानिदेशालय नागर विमानन नई दिल्ली (Director General of Civil Aviation -DGCA) –**

मुख्यालय दिल्ली सहित यह संस्था अपने क्षेत्रीय कार्यालयो के माध्यम से विमानन क्षेत्रक/ संस्थाओं के लायसेंसिंग, नियंत्रण व नियमन का कार्य करती है। राज्य विमानन विभाग एक विमानन ईकाई के रूप में DGCA के नियम व कानूनों के अंतर्गत विनियमित व संचालित होती है। DGCA के CAR (CIVIL AVIATION REQUIREMENT) के विभिन्न सेक्शन अनुसार विमानन संस्थाओं की लायसेंसिंग, हेलीकॉप्टर/विमान उड़ान की अनुमति, हेलीपेड/हवाई पट्टी/एयरपोर्ट निर्माण के मानक तथा लायसेंस, पायलट लायसेंस, विमानन सुरक्षा आदि विषयों का विनियमन होता है।

2 **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AIRPORT AUTHORITY OF INDIA -AAI) -**

यह एयरपोर्ट के विकास, संचालन, संधारण, विमान सेवा, उड़ानों से संबंधित संस्था है।

3 **ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BUREAU OF CIVIL AVIATION SECURITY -BCAS) –**

यह विमानन क्षेत्र के सुरक्षा मानको का निर्धारण, नियमन व नियंत्रण करने वाली संस्था है।

- ''विमानन'' भारतीय संविधान की संघ सूची का विषय है। परन्तु राज्य शासन के पास स्वयं के विमान/हेलीकॉप्टर होने के कारण इनके उड़ान का संचालन व नियमन करने तथा प्रदेश में हवाई यातायात सुविधा के अधोसंरचना विकास हेतु इस विभाग का गठन हुआ है। एक विमानन संस्था के रूप में विभाग द्वारा उड़ान परिचालन तथा शासकीय

विमान/हेलीकॉप्टर का संचालन व संधारण कार्य महानिदेशालय नागर विमानन (DGCA- Director General of Civil Aviation) द्वारा निर्धारित मापदण्डों व नियमानुसार किया जाता है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

(1) शासकीय कार्य हेतु अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराना ।

(2) महानिदेशालय नागर विमानन नई दिल्ली, (DGCA- Director General of Civil Aviation) के मापदण्ड अनुसार शासकीय विमान तथा हेलीकॉप्टर के अनुरक्षण एवं परिचालन की व्यवस्था ।

(3) केन्द्रीय उड्डयन नीति अन्तर्गत प्रदेश में वायु यातायात सेवाओं का विकास।

(4) विमानन आधारभूत संरचना विकास के लिए राज्य के संसाधनों से नवीन हवाई पट्टी का निर्माण एवं पूर्व से स्थित हवाई पट्टियों के अनुरक्षण तथा उन्नयन संबंधी कार्य।

(5) राज्य के समस्त जिलों के प्रमुख स्थलों में पक्का हेलीपेड निर्माण कार्य व अनुरक्षण।

(6) राज्य पुलिस, सेना व सी.आर.पी.एफ हेतु संचालित होने वाले उड़ान हेतु ए.टी.एफ. फ्यूल की व्यवस्था करना।

- राज्य विमानन संचालनालय अंतर्गत 02 कार्यालय, पुलिस ग्राउण्ड रायपुर में शासकीय हैंगर (हेलीकॉप्टर) एवं माना एयरपोर्ट, रायपुर में शासकीय हैंगर (विमानों) अवस्थित हैं। राज्य शासन द्वारा विमानन विभाग के योजना क्रियान्वयन, प्रशासकीय कार्य संपादन तथा शासकीय विमान एवं हेलीकॉप्टर के संधारण व परिचालन के लिए संचालनालय विमानन का सेटअप स्वीकृत किया गया है । जानकारी **निम्नानुसार** है –

पद संरचना की जानकारी (31.12.2018 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद									
		स्थायी	अस्थायी	नियमित सांख्येतर /संविदा	आकस्मिकता निधि स्थापना पद	कलेक्टर दर के पद	कुल स्वीकृत	भरे पद	रिक्त पद	ग्रेड–पे	पे–बैंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रशासनिक शाखा											
1	संचालक	01	––	––	––	––	01	01	––	आई.ए.एस. वरिष्ठ वेतनमान	
2	उप संचालक	01	––	––	––	––	01	––	01	6600	15600–39100
3	प्रशासकीय सह लेखाधिकारी	01	––	––	––	––	01	01	––	5400	15600–39100
4	सहायक संचालक तक.	01	––	––	––	––	01	––	01	5400	15600–39100
5	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	––	––	––	––	01	––	01	4300	9300–34800
6	स्टेनोग्राफर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	––	––	––	––	02	01	01	2400	5200–20200

7	स्टेना टायपिस्ट	01	––	––	––	––	01	––	01	1900	5200–20200
8	लेखापाल	01	––	––	––	––	01	01	––	2400	5200–20200
9	सहायक ग्रेड–02	01	––	––	––	––	01	01	––	2400	5200–20200
10	सहायक ग्रेड–03	04	––	––	––	––	04	03	01	1900	5200–20200
11	वाहन चालक	01	––	––	––	––	01	01	––	1300	4750–7440
12	भृत्य	01	––	––	––	––	01	01	––	1300	4750–7440
तकनीकी शाखा											
13	चीफ पायलट सह अपर संचालक	01	––	––	––	––	01	01	–	8900	37400–67000
14	सीनियर पायलट, हेली	02	––	––	––	––	02	02	––	8900	37400–67000
15	सीनियर पायलट, विमान	02	––	––	––	––	02	02	–	8900	37400–67000
16	पायलट विमान	01	––	––	––	––	01	01	––	7600	15600–39100
17	जूनियर पायलट विमान	01	––	––	––	––	01	–	01	6600	15600–39100
18	मुख्य अभियंता	01	––	––	––	––	01	––	01	8900	37400–67000
19	उप मुख्य अभियंता (रेडियो)	01	––	––	––	––	01	01	––	8700	37400–67000
20	एयर क्राफ्ट मेंटेनेन्स इंजीनियर (विमान)	01	––	––	––	––	01	01	––	7600	15600–39100
21	एयर क्राफ्ट मेंटेनेन्स इंजीनियर (हेली.)	01	––	––	––	––	01	01	––	7600	15600–39100
22	सहायक अभियंता (एयरक्राफ्ट)	02	––	––	––	––	02	01	01	5400	15600–39100
23	वरिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधक (फ्यूल)	01	––	––	––	––	01	01	––	5400	15600–39100
24	क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर	01	––	––	––	––	01	01	––	5400	15600–39100
25	फोरमैन	01	––	––	––	––	01	01	––	4400	9300–34800
26	CAMO मैनेजर	01	––	––	––	––	01	01	––	4400	9300–34800
27	ऑपरेशन मैनेजर	01	––	––	––	––	01	01	––	4300	9300–34800
28	कनिष्ठ गुणवत्ता अधिकारी (फ्यूल)	01	––	––	––	––	01	01	––	4300	9300–34800
29	सीनियर मैके. (विमान)	03	––	––	––	––	03	03	––	2800	5200–20200
30	सीनियर मैके. (हेली)	03	––	––	––	––	03	02	01	2800	5200–20200
31	स्टोरकीपर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	––	––	––	––	02	02	––	2400	5200–20200
32	स्टेनोग्राफर कम कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	––	––	––	––	01	01	––	2400	5200–20200
33	वाहन चालक	03	––	––	––	––	03	03	––	1900	5200–20200
34	वाहन चालक कम क्लीनर	03	––	––	––	––	03	02	01	1800	5200–20200
35	टूल ब्वाय	01	––	––	––	––	01	01	––	1300	4750–7440
36	चौकीदार	01	––	––	––	––	01	01	––	1300	4750–7440
37	माली	––	––	––	––	01	01	01	––	कलेक्टर दर पर	
38	स्वीपर	––	––	––	––	02	02	02	––	कलेक्टर दर पर	
योग		**52**	**––**	**––**	**––**	**03**	**55**	**44**	**11**		

राज्य में **Regional Connectivity Scheme Airport** जगदलपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़ हेतु स्वीकृत पद संरचना

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद										
		स्थायी	अस्थायी	नियमित सांख्येतर / संविदा	आकस्मिकता निधि स्थापना पद	कलेक्टर दर के पद	कुल स्वीकृत	भरे पद	रिक्त पद	ग्रेड–पे	पे–बैंड	स्वीकृत संविदा वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एयरपोर्ट निदेशक	––	––	04	––	––	––	––	04	7600	15600–39100	85000
2.	सेफ्टी मैनेजर	––	––	04	––	––	––	––	04	6600	15600–39100	65000
3	असिस्टेंट एग्जीक्यूटीव	––	––	08	––	––	––	––	08	4300	9300–34800	40000
4	साफ–सफाई कर्मी	––	––	––	––	12	––	––	12	कलेक्टर दर पर		
योग		––	––	**16**	––	**12**	––	––	**28**	––	––	––

1. टीप– विमानन विभाग की अधीनस्थ विमानन संचालनालय के समस्त पद नियमित हैं, किन्तु निजी विमानन संस्थाओं तथा अन्य राज्यों के समकक्ष वेतन प्रदान करने व विशेष सेवा शर्तों का नियमन करने इनकी संविदा आधार पर नियुक्ति की जाती है। भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ विमानन विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पद संबंधी भर्ती नियम व शर्तों का पालन किया जाता है तथा सेवा शर्तें छ.ग. राज्य संविदा नियम 2012 अनुसार हैं।

2. **भर्ती का स्रोत एवं प्रक्रिया** :–

विभाग द्वारा विज्ञापन के माध्यम से देश/राज्य के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा खुली भर्ती की जाती है।

3. नियुक्ति :–

विभाग के समस्त तकनीकी पदों पर वार्षिक संविदा आधार पर नियुक्ति की जाती है। विभाग तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के परस्पर सहमति से उनके संविदा सेवा अवधि में आवश्यकता/उपयुक्तता तथा पद पर नियमित नियुक्ति के अभाव में वार्षिक आधार पर वृद्धि की जाती है।

राज्य के शासकीय पायलट के पद नियमित पद हैं किन्तु पायलटों की संविदा आधार अथवा माह में 15 दिवस सेवा के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाती है

(विमान बी–200 के पायलटों की कमी के कारण 15 दिवसीय अनुबंधित पायलट का प्रावधान केवल विमान हेतु लागू किया गया है) ।

1. पायलटों के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राज्य विमानन विभाग की है । प्रशिक्षण शुल्क तथा प्रशिक्षण हेतु की गई यात्रा व्यय आदि का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है, जैसे – शासकीय हेलीकॉप्टर ऑगस्ता 109 के VFR ट्रेनिंग इटली का सम्पूर्ण व्यय आदि।

2. DGCA के मापदण्ड अनुसार पायलटों के अन्य समस्त ट्रेनिंग जैसे – Pilot Currency, Night Rout Currency, Monsoon Training, Proficiency Check, Night Rout Check, Medical Check, प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षक/परीक्षक को बुलाने, तथा परीक्षण/प्रशिक्षण हेतु की गई विमान यात्रा, होटल व्यय, दैनिक भत्ता आदि का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है।

3. विशेष संविदा वेतन के अलावा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा विमानन संचालनालय के पायलटों, तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियेां हेतु विशेष अवकाश का प्रावधान किया गया है। जिसमें वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश एवं 13 आकस्मिक अवकाश की पात्रता है।

4. पायलटों एवं तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के विशेष संविदा वेतन निम्नानुसार हैं–

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत संविदा वेतन
1.	चीफ पायलट	37400–67000+ 8900	**5,00,000/–**
2.	सीनियर पायलट	37400–67000+8900	**4,50,000/–**
3.	पायलट	37400–67000+8900	**3,60,000/–**
4.	जूनियर पायलट	37400–67000+7600	**2,25,000/–**
5.	अनुबंधित सीनियर पायलट (माह में 15 दिवस सेवा हेतु)	37400–67000+8900	**3,00,000/– + (अन्य भत्ते)**
6	वरि.अभियंता (हेलीकॉप्टर/विमान)	15600–39100+7600	**2,40,000/-**
7	सहायक अभियंता (हेलीकॉप्टर/विमान/रेडियो)	15600–39100+5400	**1,40,000/-**
8	क्वालिटी मैनेजर	15600–39100+5400	**85,000/-**
9	गुणवत्ता प्रबंधक (फ्युल)	15600–39100+5400	**65,000/-**
10	CAMO मैनेजर	9300–34800+4400	**56,000/-**
11	ऑपरेशन मैनेजर	9300–34800+4300	**56,000/-**
12	डिप्टी गुणवत्ता अधिकारी (फ्युल)	9300–34800+4300	**56,000/-**

13	वरि तकनीशियन	5200–20200+2800	**47,000/-**
14	स्टोर कीपर	5200–20200+2400	**32,000/-**

विमानन विभाग की परिसंपत्ति

(क) शासकीय विमान :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2006–07 में शासकीय विमान, **किंग एयर बी–200, व्ही.टी.–सी.टी. जी.** का क्रय मेसर्स रेथेयोन एयरक्राफ्ट कंपनी, अमेरिका से राशि 23.88 करोड़ में किया गया है। यह विमान दिसंबर 2006 से राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं व शासकीय कार्य हेतु उपलब्ध है । विमान द्वारा 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक 200:10 घण्टे की उड़ान तथा अब तक कुल 3043:35 घण्टे की उड़ान पूरी की गयी है। विमान में 02 पायलट के अलावा 09 यात्रियों के बैठने हेतु सीटें उपलब्ध हैं। विमान का संधारण कार्य विभागीय अभियंताओं (01 वरिष्ठ अभियंता एवं 01 सहायक अभियंता, रेडियो इंजीनियर) एवं तकनीकी कर्मचारियों (03 वरिष्ठ तकनीशियन) द्वारा स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट माना, रायपुर स्थित शासकीय हैंगर में किया जा रहा है।

(ख) शासकीय हेलीकॉप्टर :–

वर्ष 2007 में शासकीय हेलीकाप्टर **ऑगस्ता ए 109 पावर, व्ही.टी.–सी.एच.जी.,** इटली की कम्पनी ऑगस्ता वेस्टलैंड से राशि 25.96 करोड़ में क्रय किया गया है। यह दिसंबर 2007 से उड़ान हेतु उपलब्ध है। इस हेलीकॉप्टर की बैठक क्षमता 2+5 है । हेलीकॉप्टर द्वारा 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक 308:25 घंटे एवं कुल 2527:15 घंटे की उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की गई है । अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं व शासकीय कार्यों में इसका उपयोग किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का परिचालन शासन द्वारा नियुक्त पायलटों द्वारा एवं संधारण का कार्य विभागीय अभियंताओं (01 वरिष्ठ अभियंता एवं 01 सहायक अभियंता, रेडियो इंजीनियर) एवं तकनीकी कर्मचारियों (03 वरिष्ठ तकनीशियन) द्वारा रायपुर पुलिस लाईन स्थित शासकीय हैंगर में किया जा रहा है।

(ग) राज्य में स्थित हवाई पट्टियाँ :–

छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के अलावा कार्यशील नौ हवाई पट्टियाँ अम्बिकापुर (दरिमा), बिलासपुर (चकरभाठा), भिलाई (नंदिनी), जगदलपुर, जशपुरनगर (आगाडीह), रायगढ़ (कोड़ातराई), कोरबा, बलरामपुर एवं रायगढ़ (जिंदल) में स्थित है । हवाई पट्टियों की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है –

छत्तीसगढ़ राज्य के एयरपोर्ट/हवाई पट्टियों की सूची

क्र.	जिला स्थान	रनवे की दिशा	रनवे की लंबाई (फिट में)	हवाई पट्टियों की समुद्र तल से उंचाई (फुट में)	हवाई पट्टियों के अक्षांश–देशांश	स्वामित्व
1	2	3	4	5	6	7
1	अंबिकापुर (दरिमा)	16/34	5330'x50'	1900′	उत्तर–2259.36 पूर्व–08311.33	राज्य शासन
2	बिलासपुर (चकरभाठा)	17/35	5290'x50'	900′	उत्तर–2159.64 पूर्व–08206.88	राज्य शासन
3	भिलाई (नंदिनी)	05/23	4500'x100'	900′	उत्तर–2118.00 पूर्व–08123.00	स्टील अथारिटी आफ इंडिया NCC के उपयोग में
4	जगदलपुर	06/24	5575'x100'	1800′	उत्तर–1904.49 पूर्व–08202.25	राज्य शासन
5	जशपुरनगर (आगाडीह)	09/27	4000'x100'	2400′	उत्तर–2255.55 पूर्व–08413.87	राज्य शासन
6	रायगढ़ (कोड़ातराई)	12/30	4000'x50'	800′	उत्तर–2149.20 पूर्व–08321.49	राज्य शासन
7	कोरबा	18/36	3500'x50'	1000′	उत्तर–2224.79 पूर्व–08243.16	छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल का स्वामित्व संधारण दायित्व बाल्को को
8	रायगढ़ (जिन्दल)	10/28	6600'x100'	800′	उत्तर–2156.30 पूर्व–08320.23	प्रायवेट जिन्दल ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज
9	बलरामपुर	9/27	4000'x100'	2400′	उत्तर–2255.55 पूर्व–08413.87	राज्य शासन

(घ) राज्य में स्थित हेलीपेड की जानकारी :–

छत्तीसगढ़ राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में उड़ान संभव बनाने पक्के हेलीपेड निर्माण योजना के तहत् विमानन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर लैडिंग सुविधा विकसित करने राज्य के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर पर पक्के हेलीपेड का निर्माण किया गया है। योजना अंतर्गत वर्ष 2010–11 में **65** एवं 2011–12 में **09** ब्लॉक में हेलीपेड का निर्माण किया गया । वर्तमान में कुल 83 हेलीपेड की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत 72 हेलीपेड का कार्यपूर्ण हो चुका है तथा 11 हेलीपेड का कार्य अपूर्ण है । जानकारी **निम्नानुसार है–**

//छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलो में निर्मित पक्के हेलीपेड की ब्लॉकवार जानकारी//

क्र0	जिला	स्वीकृत हेलीपेड	ब्लॉक मुख्यालय जहां हेलीपेड निर्मित है	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	ब्लॉक का नाम जहां कार्य अपूर्ण है
01.	कांकेर	05–ब्लाक	स्पोर्टस काम्पलेक्स कांकेर, भानुप्रतापपुर, पंखाजूर, कोयलीबेड़ा, अंतागढ़।	05	–	–
02.	दन्तेवाड़ा	05–ब्लाक	थाना कटेकल्याण, खेल मैदान बड़ेपनेड़ा, थाना कोन्टा, बचेली, छिन्दगढ़।	05	–	–
03.	रायपुर	05–ब्लाक	धरसीवा, बलौदाबाजार, बिलाईगढ़, गरियाबंद, देवभोग।	04	01	गरियाबंद
04.	बिलासपुर	05–ब्लाक	पेन्ड्रा, गौरेला, मुंगेली, रतनपुर महामाया, कोटा।	02	03	पेन्ड्रा, गौरेला, कोटा
05.	कवर्धा	05–ब्लाक	रेंगाखार, पंचराही, स. लोहारा, पंडरिया, चिल्फी हायर सेकेण्डरी स्कूल परिसर।	05	–	–
06.	बीजापुर	05–ब्लाक	गंगालूर, कोडेपाल, पेदाकोडेपाल, रेड्डी।	04	01	चिन्नाकोडेपाल,
07.	दुर्ग	05–ब्लाक	नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला, धमधा।	01	04	नवागढ़, बेमेतरा, साजा, बेरला
08.	राजनांदगांव	05–ब्लाक	औंधी, सीतागांव, मदनबाड़ा, खड़गॉव, मोहला।	05	–	–
09.	जंजगीर–चांपा	05–ब्लाक	पामगढ़, बलौदा, अकलतरा, जैजेपुर, बम्हनीडीह।	05	–	–
10.	जशपुर	05–ब्लाक	मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल।	05	–	–
11.	कोरिया	05–ब्लाक	बैकुण्ठपुर, सोनहत, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, खड़गवा।	05	–	–
12.	महासमुन्द	04–ब्लाक	बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली।	03	01	बसना
13.	धमतरी	03–ब्लाक	कुरूद, मगरलोड, नगरी।	03	–	–
14.	जगदलपुर	03–ब्लाक	तोकापाल, बकावण्ड, भानपुरी।	02	01	भानपुरी
15.	रायगढ़	05–ब्लाक	खरसिया, घरघोड़ा, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, तमनार।	05	–	–
16.	बीजापुर	04–ब्लाक	भैरमगढ़, रानी बादेली, थाना बंगापाल, थाना तोमनार ।	04	–	–
17.	कांकेर (भानुप्रतापपुर)	09–ब्लाक	मण्डागांव, बड़ेझडक्कटा, टेमरूपानी, चारगांव, उदनपुर, आमाबेड़ा, सिकसोड, संगम, एडका	09	–	–
		83 ब्लॉक		**72**	**11**	**11**

(ङ) **शासन का स्टेट हैंगर एवं प्रशासकीय भवन :–**

शासकीय हेलीकॉप्टर हेतु पुलिस ग्राउंड, रायपुर में हैंगर का निर्माण किया गया है, जहां शासकीय हेलीपेड निर्मित है एवं यहां से हेलीकॉप्टर की उड़ान का संचालन किया जाता है।

शासकीय विमान का संचालन व संधारण कार्य वर्तमान में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के भीतर स्थित हैंगर से किया जाता है। यह हैंगर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की संपत्ति है, जिसे मासिक किराया आधार पर लिया गया है।

स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट के नज़दीक राज्य शासन के नवीन स्टेट हैंगर एवं प्रशासकीय भवन का लागत राशि रू. 6.00 करोड़ से निर्माण किया गया है । नवीन शासकीय स्टेट हैंगर, से शासकीय विमान एवं हेलीकॉप्टर का उड़ान संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य प्रारम्भ करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हेतु एक्सरे बैगेज़ स्कैनर, हैण्ड हैल्ड मेटल डिटेक्टर एवं डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर क्रय किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमानुसार ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों की व्यवस्था करने तथा लायसेंसिंग उपरांत हैंगर से उड़ान संचालन प्रारम्भ होना है।

हेंगर में सुरक्षा मानको के पालन हेतु अब इसे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना के बाउंड्री वॉल के भीतर लाया जाकर संचालन प्रारंभ किये जाने की योजना है। बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जगदलपुर एयरपोर्ट में शासकीय हेलीकॉप्टर के संचालन/संधारण तथा वायुसेना के हेलीकॉप्टर को हैंगर सुविधा प्रदान करने शासकीय हैंगर तथा बाउज़र शेड का निर्माण कार्य लागत राशि 7.35 करोड़ से किया जा रहा है।

(च) **फ्यूल बाऊज़र** :–

फ्यूल बाउज़र के माध्यम से एयरपोर्ट/हेलीपेड/हवाई पट्टियों में विमान तथा हेलीकॉप्टरों में एविएशन टरबाईन फ्यूल भरा जाता है। राज्य में नक्सली समस्या के निदान हेतु एयरफोर्स व BSF के उड़ान एवं राज्य पुलिस के संयुक्त मूव्हमेंट में प्रयुक्त हेलीकॉप्टरों में फ्यूल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा 07 नग फ्यूल बाऊजर एवं 01 नग आयल टेंकर क्रय किया जाकर कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, बीजापुर व अम्बिकापुर में बाऊज़र स्थापित किये गये है तथा बाऊज़र संचालन व रख–रखाव हेतु पुलिस विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन के उपयोग हेतु 02 नग फ्यूल बाऊज़र क्रय कर रायपुर में रखा गया है । जिससे हवाई उड़ान

हेतु दूरस्थ स्थानों में फ्यूल उपलब्धता आसान हो गई है । बाउज़रों का क्रय कम्पनी टाईटन एंटनी, मुम्बई से किया गया है। विभिन्न जिलों में स्थापित किये गये फ्यूल बाउज़र संबंधित जिला पुलिस के नियंत्रणाधीन है तथा इनके संधारण की जिम्मेदारी विमानन विभाग की है।

फ्यूल व्यवस्था

विभिन्न जिलों में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, की मांग पर बी.पी.सी.एल. तथा आई. ओ.सी.एल. से एटीएफ क्रय किया जा कर टैंकर के माध्यम से बाउज़रों की रिफिलिंग की जाती है। जिससे खपत तथा शेष फ्यूल जानकारी संधारण तथा फ्यूल खरीदी वितरण आदि की मॉनिटरिंग विमानन संचालनालय के फ्यूल शाखा (वरिष्ठ गुणवत्ता प्रबंधक तथा कनिष्ठ फ्यूल गुणवत्ता अधिकारी) द्वारा की जाती है।

राज्य के बाहर शासकीय उड़ान पर आई.ओ.सी.एल. से रिफ्यूलिंग की सुविधा ली जाती है।

09 बाउज़र के अलावा संचालनालय अंतर्गत 01 फ्यूल टैंकर, 01 ट्रक, 01 ट्रैक्टर, 03 शासकीय वाहन हैं तथा संचालनालय को वर्तमान में वित्त विभाग की अनुमति से किराये के 07 कार की पात्रता प्राप्त है।

1. छत्तीसगढ़ का Perspective Civil Aviation Plan तैयार कराने का कार्य :–

सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन, मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त सुझावों अनुसार राज्य में वायु यातायात को विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ के Civil Aviation का State Perspective Plan तैयार कराया गया है । सलाहकार की रिपोर्ट के अनुसार रायगढ, अम्बिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं कोरबा में वायु सेवाओं हेतु काफी सम्भावनायें है। प्लान अनुसार इन शहरों में पूर्व स्थित हवाई पट्टी का उन्नयन कर एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है ताकि इन शहरों से विमान सेवा प्रारंभ किया जा सके।

2. एयरपोर्ट लायसेन्स लेने हेतु सर्वे एवं डॉक्यूमेंट तैयार कराने का कार्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य में वायु यातायात की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के 07 हवाई अड्डों (एयर स्ट्रीप) 1. अम्बिकापुर (दरिमा) 2. रायगढ़ (कोड़ातराई) 3. जगदलपुर 4. जशपुर (आगाडीह) 5. कोरबा 6. भिलाई एवं 7. बिलासपुर (चकरभाठा) को DGCA के मापदण्ड के अनुरूप सुधारने एवं लायसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से सलाहकार नियुक्त कर कार्य पूर्ण कराया गया । इसके अंतर्गत विभिन्न मैनुअल तैयार कराये गये हैं जिसका उपयोग वर्तमान में राज्य के जगदलपुर, अम्बिकापुर, बिलासपुर एयरपोर्ट विकास उपरांत लायसेंस प्राप्ति हेतु किया गया है।

(1) राज्य के हवाई पट्टी का उन्नयन एवं एयरपोर्ट विकास योजना :–

छत्तीसगढ़ राज्य में नौ हवाई पट्टियाँ कार्यशील स्थिति में हैं जिसमें से सातः हवाई पट्टी अम्बिकापुर (दरिमा), बिलासपुर (चकरभाठा), भिलाई (नंदिनी), जगदलपुर, जशपुरनगर (आगाडीह), रायगढ़ (कोड़ातराई), बलरामपुर राज्य शासन के स्वामित्व में एवं दो हवाई पट्टी कोरबा, एवं रायगढ़ (जिंदल) निजी स्वामित्व में हैं ।

छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन हवाई पट्टी निर्माण एवं उन्नयन योजना (Green / No frill Airport) के तहत् वर्ष 2010–11 एवं वर्ष 2011–12 में राज्य शासन द्वारा बलरामपुर में नवीन हवाई पट्टी निर्माण हेतु, राशि 1362.32 लाख तथा पूर्व से निर्मित हवाई पट्टी जशपुरनगर (आगाडीह) के उन्नयन कार्य हेतु 885.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में बीजापुर तथा दंतेवाड़ा में नवीन हवाई पट्टी निर्माण हेतु क्रमशः 45.74 करोड़ तथा 28.07 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ।

बलरामपुर हवाई पट्टी का उन्नयन कार्य पूर्ण हो चुका है तथा यहां शासकीय विमान की लैंडिंग भी की जा रही है ।

(2). स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में तैयार करने की पहल :–

रनवे विस्तार कार्य –

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा व राज्य शासन के प्रस्ताव पर रायपुर एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट रखा है । स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने एवं भविष्य की उड़ान सम्भावनाओं के मद्देनज़र विस्तार की कार्य योजना तैयार किया गया है । इस हेतु राज्य शासन द्वारा लगभग 450 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी गई है । माना एयरपोर्ट विस्तार हेतु विमानन विभाग द्वारा नया रायपुर विकास प्राधिकरण (अटल नगर) तथा जिला प्रशासन रायपुर से भूमि का अधिग्रहण राशि रू. 1.20 अरब में किया जा कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट माना का रनवे विस्तार कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिससे बड़े विमानों के लैंडिंग सुविधा की उपलब्धता के कारण अब रायपुर से देश के अन्य शहरों के लिए विमान सेवा में वृद्धि हुई है। वर्तमान में माना एयरपोर्ट में रनवे की लम्बाई 2286 मी. है तथा इसके नये टर्मिनल भवन की एक समय में 700 यात्रियों की क्षमता है ।

कार्गो टर्मिनल प्रारंभ –

रायपुर एयरपोर्ट में कारगो टर्मिनल बनाये जाने से यहाँ के उद्योगों को लाभ की संभावना को देखते हुए अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को कारगो टर्मिनल बनाये जाने के संबंध में विमानन विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था। विभाग के अनुरोध पर एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल भवन से कार्गो सेवा प्रारंभ हो गया है।

कस्टम सुविधा विकसित करने का लक्ष्य –

छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट रायपुर को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने हेतु एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया है। राज्य शासन द्वारा भारत सरकार नागर विमानन, मंत्रालय से रायपुर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है । इस दिशा में शासन द्वारा पहल करते हुए प्रथम चरण में स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट रायपुर को कस्टम एयरपोर्ट बनाने प्रयास किया जा रहा है। कस्टम विभाग द्वारा इसके लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार मानव संसाधन, कार्यालय सेटअप उपकरण आदि हेतु जानकारी विभाग को दी गई है जिस पर आगे कार्य किया जाना है।

(3). जगदलपुर हवाई पट्टी 2C केटेगरी के एयरपोर्ट के रूप में विकसित –

राज्य शासन द्वारा जगदलपुर हवाई पट्टी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मानक अनुसार 2–C VFR केटेगरी में विकसित किया गया है । केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जगदलपुर में एयरपोर्ट विकसित करने वहां स्थित हवाई पट्टी का निरीक्षण किया गया तथा AAI एवं DGCA के संयुक्त निर्णय अनुसार हवाई पट्टी को ही एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया। एयरपोर्ट विकास हेतु जिला निर्माण समिति, जगदलपुर को ज़िम्मेदारी सौंपी गयी थी। राज्य शासन द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट विकास हेतु कुल राशि 42.00 करोड़ का प्रावधान राज्य खनिज विकास निधि से किया गया ।

रिजनल कनेक्टिविटी (उड़ान) योजना में जगदलपुर एयरपोर्ट को शामिल किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा इसे रिज़नल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है। DGCA द्वारा जगदलपुर एयरपोर्ट को दिनांक 12.04.2018 को पब्लिक यूज़ कैटेगरी एयरपोर्ट का लायसेंस प्रदान किया गया तथा 06 माह उपरांत दिनांक 11.10.2018 को पुनः आगामी 06 माह हेतु लायसेंस रिन्यु किया गया है।

एन्टी नक्सल मूव्हमेन्ट अन्तर्गत जगदलपुर हवाई पट्टी से रात्रि में विमान उड़ान की सुविधा हेतु नाईट लैंडिंग की सुविधा विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 136.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई थी । नाईट लैंडिंग हेतु लाईटिंग कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(4). रायगढ़ हवाई पट्टी को 3C/4C केटेगरी के एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य :–

राज्य शासन द्वारा एयरपोर्ट विकास संबंधी सलाहकार की रिपोर्ट से सहमत होकर रायगढ़ हवाई पट्टी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ MoU कर 3C/4C केटेगरी एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है । एयरपोर्ट विकास के लिए हवाई पट्टी की 23 एकड़ भूमि के अलावा 569 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही लंबित है।

(5). बिलासपुर (चकरभाटा) हवाई पट्टी का एयरपोर्ट के रूप में विकास :–

बिलासपुर (चकरभाटा) में सैन्य विभाग द्वारा सैन्य छावनी एवं रक्षा उड़ान बेस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा सैन्य विभाग को चकरभाठा में शासकीय एवं निजी भूमि उपलब्ध करायी गयी है तथा हवाई पट्टी भूमि का हस्तांतरण सेना को किया जाना प्रस्तावित था। सिविल उड़ान की सुविधा हेतु यहॉ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था जिस हेतु हवाई पट्टी से संलग्न शासकीय भूमि का चिन्हांकन किया गया है।

रिज़नल कनेक्टिविटी (उड़ान) योजना में बिलासपुर (चकरभाठा) एयरपोर्ट को शामिल किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा इसे रिज़नल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है। योजनांतर्गत राज्य के भीतर सस्ती विमान सेवा का संचालन करने इसे एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। एयरपोर्ट को व्यावसायिक उड़ान संचालन हेतु लायसेंस प्राप्त हो गया है।

अम्बिकापुर (दरिमा) हवाई पट्टी 2C केटेगरी के एयरपोर्ट के रूप में विकसित –

राज्य शासन द्वारा **अम्बिकापुर (दरिमा)** हवाई पट्टी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मानक अनुसार 2–C VFR केटेगरी में विकसित किया गया है । एयरपोर्ट विकास हेतु जिला निर्माण समिति, अम्बिकापुर को ज़िम्मेदारी सौंपी गयी थी। राज्य शासन द्वारा **अम्बिकापुर (दरिमा)** एयरपोर्ट विकास हेतु कुल राशि 32.00 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

रिज़नल कनेक्टिविटी (उड़ान) योजना में जगदलपुर, अम्बिकापुर (दरिमा), बिलासपुर (चकरभाठा) तथा रायगढ़ (जिंदल) एयरपोर्ट को शामिल किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा इन्हे रिज़नल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया जा कर विकसित किया गया है। इन एयरपोर्ट्स का संचालन व नियंत्रण संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है।

एयरपोर्ट विकास हेतु प्रावधानित बजट तथा अन्य जानकारी :–

एयरपोर्ट विकास पर बजट प्रावधान एवं व्यय

(रू. करोड़ में)

क्र.	एयरपोर्ट का नाम	राज्य बजट	राज्य खनिज संस्थान न्यास मद	जिला खनिज संस्थान न्यास मद	अन्य मद	कुल प्रावधान (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	अम्बिकापुर	14.07 (हवाई पट्टी विकास हेतु) + 5.18 (भूमि अधिग्रहण हेतु) + 4.50 (RCS एयरपोर्ट विकास हेतु)	–	3.6	–	27.35
2	जगदलपुर	–	41.05	–	–	41.05
3	बिलासपुर	1.5 (एयरपोर्ट विद्युतीकरण हेतु)	–	11.05	–	12.55

अन्य हवाई पट्टी विकास संबंधी जानकारी

क्र.	हवाई पट्टियां	प्रशा. स्वीकृति (रू. करोड़ में)	वित्त स्वीकृति (रू. करोड़ में)	किए गए कार्यों के नाम	कार्यों की अद्यतन भौतिक स्थिति	क्रियान्वयन एजेंसी	कार्यों की अद्यतन भौतिक स्थिति
1	जशपुर	**8.86 करोड़**	–	रनवे चौडीकरण एवं एयरपोर्ट बाउंड्रीवाल निर्माण,	–	जिला निर्माण समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से	लंबित
2	रायगढ़	**100.00 करोड़**	**100.00 करोड़** • कलेक्टर रायगढ़ को वर्ष 2014–15 में भूमि अधिग्रहण हेतु विभाग द्वारा 20 करोड़ रू. प्रदान किया गया था। • (वर्ष 2016–17 में भूमि अधिग्रहण मुआवजा हेतु 80 करोड़ रू. राज्य खनिज निधि से प्राप्त हुआ था किन्तु भूमि अधिग्रहण कार्य लंबित होने से राशि खनिज विभाग को वापस कर दिया गया।)	भूमि अधिग्रहण, कार्य	लंबित	जिला निर्माण समिति (कलेक्टर)	लंबित
3	बीजापुर	**45.74 करोड़**	**22 करोड़** • वर्ष 2017–18 में भूमि अधिग्रहण हेतु विमानन विभाग को 17.00 करोड़ प्राप्त। जिसका सरेंडर कर दिया गया। • वर्ष 2017–18 में लोक निर्माण विभाग को 5.00 करोड़ स्वीकृत।	भूमि अधिग्रहण एवं अन्य निर्माण कार्य	लंबित	जिला निर्माण समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से	लंबित
4	दंतेवाड़ा	28.07	• वर्ष 2011–12 में 6.8 करोड़ रू. लोक निर्माण विभाग को जारी हुआ था। • वर्ष 2017–18 में 1.00 करोड़ रू. भूमि अधिग्रहण हेतु विमानन विभाग को प्राप्त हुआ था। जिसका सरेंडर कर दिया गया।	भूमि अधिग्रहण एवं अन्य निर्माण कार्य	लंबित	जिला निर्माण समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से	लंबित
5	बलरामपुर	13.62	• वर्ष 2011–12 में 13.62 करोड़ रू. लोक निर्माण विभाग को जारी हुआ था।	रनवे एवं अन्य निर्माण	पूर्ण	जिला निर्माण समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से	पूर्ण
9	कवर्धा	18.00	–	रनवे एवं अन्य निर्माण	लंबित	जिला निर्माण समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से	लंबित

3. सिविल एविएशन ड्राफ्ट पॉलिसी में राज्य से सुझाव :–

केन्द्र सरकार के नए उड्डयन नीति में रिज़नल कनेक्टिविटी योजना पर राज्यों से सुझाव मांगे गए थें। विभाग ने केन्द्र सरकार को रिज़नल कनेक्टिविटी स्कीम में निम्नलिखित प्रमुख सुझाव सिविल एविएशन पॉलिसी में सम्मिलित करने के लिये दिये है :–

1. सरकार द्वारा टियर II/III शहरों को जोड़ने के लिये छोटे विमानों के निर्माण, आयात पर लागू नियमों में सुधार कर इसको प्रोत्साहन दिया जाय, विभिन्न करों में छूट दी जाय, इस व्यवसाय में होने वाले व्यय पर आयकर से छूट की समय–सीमा का निर्धारण किया जाय, इससे जुड़े संधारण सुविधा कार्य को वित्तीय सुविधा उपलब्ध करायी जाय एवं ATF पर वैट का दर कम किया जाय।
2. इस योजना के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित समस्त कार्यो के निर्धारण के लिए निचले स्तर से कार्यकारी एवं निर्णयात्मक स्तर तक e-Governance का माध्यम होना चाहिये।
3. इस प्रकार की सेवाएं देने वाली कम्पनियों को सुनिश्चित स्थानों के बीच अधिक उड़ान, अधिक लैंडिंग, अधिक पैसेन्जर आदि के आधार पर विभिन्न प्रोत्साहन देना चाहियें। इससे टियर II/III क्षेत्रों में आर्थिक विकास तेज होगा ।
4. इस स्कीम के अन्तर्गत शहरों का चुनाव मात्र व्यावसायिक लाभ के आधार पर ही न हो । उन शहरों को इसमें जोड़ा जाये जिनसे लगे क्षेत्रों का विकास अन्य कारणों से किया जाना आवश्यक है । जैसे :– बस्तर से जगदलपुर ।
5. इस कार्य के लिये उपलब्ध हवाई पट्टी के विकास का चुनाव चरणबद्ध रूप से किया जाय ।

सुझावों में मुख्य रूप से विमानन सुविधाओं के विकास हेतु निर्माण एवं संधारण सुविधाओं के विकास पर बल दिया गया है साथ ही सम्बन्धित उपकरणों के आयात पर टैक्स छूट के प्रावधान, भूमि अधिग्रहण में सहायता, टैक्स छूट में समय–सीमा निर्धारण आदि शामिल किया गया।

4 **UDAN – उड़े देश का आम नागरिक योजना–**

नवीन केन्द्रीय विमानन नीति–2016 अन्तर्गत **रिज़नल कनेक्टिविटी (UDAN – उड़े देश का आम नागरिक) योजना** जिसके अनुसार राज्यों में Unserved/Under Served एयरपोर्ट में आधारभूत सुविधाओं का विकास कर, इनके लायसेंसिंग उपरान्त विमानन सेवा प्रारम्भ कर नागरिकों को सस्ते दर पर विमान सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है हेतु राज्य मंत्री परिषद् के अनुमोदन उपरान्त केन्द्र सरकार व राज्य शासन तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य दिनांक 09.09.2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु MoU की शर्तानुसार राज्य सरकार को राज्य में वायु उड़ान सेवा प्रारम्भ करने आधारभूत वायु सुविधाओं के विकास सहित कुछ प्रतिबद्धताओं का अनुपालन किया जाना है जिसके अनुसार योजना हेतु वायु सेवा प्रदाता कम्पनियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जानी होंगी :–

i. योजनांतर्गत उड़ान की दूरी/समय के अनुसार आम नागरिक हेतु किराया दर में छूट देते हुए विमान/हेलीकॉप्टर यात्रा के किराए की न्यूनतम दरों का निर्धारण किया गया है। किराये की दर में दिए जाने वाले इस छूट के कारण वायु सेवा प्रदाता कम्पनी को होने वाली क्षति की पूर्ति किया जाना होगा जिसके लिए Viability Gap Fund का प्रावधान किया गया है। इस फण्ड में केन्द्र सरकार की देयता 80% व राज्य सरकार की देयता 20% होगी ।

ii. राज्य में योजना अंतर्गत संचालित उड़ान हेतु क्रय किये जाने वाले ATF पर VAT का दर आगामी 10 वर्षों के लिए अधिकतम 1% निर्धारित करना होगा ।

iii. राज्य में RCS एयरपोर्ट के विकास/विस्तार हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

iv. राज्य शासन को राज्य के RCS एयरपोर्ट तक पहुंच सुगम बनाने हेतु Multi-Modal Hinterland Connectivity (सड़क, रेलमार्ग, मेट्रो, जलमार्ग इत्यादि) सुविधा विकसित करना होगा ।

v. राज्य सरकार को वायु सेवा प्रदाता कम्पनियों को RCS एयरपोर्ट के निःशुल्क प्रयोग के साथ ही निःशुल्क सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराना होगा ।

vi. राज्य सरकार वायु सेवा प्रदाता कम्पनियों को RCS एयरपोर्ट में न्यूनतम दर पर विद्युत, जल एवं अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायेगी ।

MoU के विभिन्न बिन्दुओं के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित होने पर संबंधित विभागों द्वारा सहमति दी गयी है।

राज्य शासन द्वारा Regional Connectivity Scheme अन्तर्गत विमान सेवा प्रारम्भ करने हेतु चिन्हित किए गए वायु मार्ग

a. रायपुर–बिलासपुर/रायगढ–अम्बिकापुर–रायपुर
b. विशाखापटनम/हैदराबाद–जगदलपुर–रायपुर/बिलासपुर–अम्बिकापुर–बनारस/रांची –रायपुर/ जगदलपुर
c. जगदलपुर–रायपुर–भोपाल–नागपुर –रायपुर/जगदलपुर

केन्द्र शासन द्वारा राज्यों में रिज़नल कनेक्टिविटी योजना हेतु विमान सेवा संचालन करने आमंत्रित किए गए निविदा में कम्पनी एयर ओडिशा एविएशन प्रायवेट लिमिटेड (ओडिशा) द्वारा रायपुर–>बिलासपुर–>अम्बिकापुर–> बिलासपुर–>रायपुर–> झासुगड़ा–> रायपुर–> रायगढ़ (जिंदल)–>रायपुर –> जगदलपुर–> विशाखापत्तनम– > जगदलपुर –>रायपुर विमान सेवा संचालन का प्रस्ताव दिया गया है जिस पर केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कम्पनी एयर ओडिशा एविएशन प्रायवेट लिमिटेड (ओडिशा) को लेटर ऑफ अवार्ड जारी किया गया है।

केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य दिनांक 09.09.2016 को किए गए MoU एवं विमान कम्पनी एयर ओडिशा एविएशन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा योजना हेतु दिए जाने वाली सुविधाओं पर अधिसूचना जारी करते हुए प्रथम चरण हेतु जगदलपुर, बिलासपुर (चकरभाठा) रायगढ़ (कोण्डातराई) अम्बिकापुर (दरिमा) को RCS एयरपोर्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है।

केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में उड़ान योजना अंतर्गत कम्पनी विमान सेवा का संचालन करने चयनित एयर ओडिशा एविएशन प्रायवेट लिमिटेड (ओडिशा) द्वारा प्रस्तावित टिकट दर तथा आरसीएस सीटों पर मांगी गई Viability Gap Fund की जानकारी निम्नानुसार है –

Price Offer by Air Odisha Aviation Pvt. Ltd. for 18 seater M28 Aircraft

RCS Route	Number of RCS flights per week	Number of RCS seats	Number of Non-RCS seats	VGF Per RCS Seat (in Rs,.)	Maximum Airfare RCS Seat (in Rs.)
Bilaspur to Ambikapur	7	9	9	2347	1420
Ambikapur to Bilaspur	7	9	9	2347	1420
Raipur to Jharsuguda	7	9	9	3059	1670
Jharsuguda to Raipur	7	9	9	3059	1670
Raipur to Raigarh (Jindal)	7	9	9	2347	1420
Raigarh (Jindal) to Raipur	7	9	9	2347	1420
Raipur to Jagdalpur	7	9	9	3059	1670
Jagdalpur to Vishakhapatnam	7	9	9	2831	1580
Vishakhapatnam to Jagdalpur	7	9	9	2920	1580
Jagdalpur to Raipur	7	9	9	3156	1670

कुल देय Viability Gap Funding in 1 year (30 Days Per Month)

RCS Route	Number of RCS seats	VGF Per RCS Seat (in Rs,.)	VGF for 9 RCS Seat (in Rs,.) Per day
Bilaspur to Ambikapur	**9**	**2347**	**21123**
Ambikapur to Bilaspur	**9**	**2347**	**21123**
Raipur to Jharsuguda	**9**	**3059**	**27531**
Jharsuguda to Raipur	**9**	**3059**	**27531**
Raipur to Raigarh (Jindal)	**9**	**2347**	**21123**
Raigarh (Jindal) to Raipur	**9**	**2347**	**21123**
Raipur to Jagdalpur	**9**	**3059**	**27531**
Jagdalpur to Vishakhapatnam	**9**	**2831**	**25479**
Vishakhapatnam to Jagdalpur	**9**	**2920**	**26280**
Jagdalpur to Raipur	**9**	**3156**	**28404**
Total VGF for 9 RCS Seat (Per Day)			**247248**
Total VGF for 9 RCS Seat in a month (30 Days)			**7417440**
Total VGF for 9 RCS Seat for 1 year			**89009280**
20% Liability of State Govt. in Total VGF (for 1 Year)			**17801856**

5. ATF पर वाणिज्य कर :–

राज्य शासन द्वारा ATF पर वाणिज्यकर 25 % से घटाकर 4 % किया गया है। इससे रायपुर से आने–जाने वाली फ्लाईट की संख्या बढ़ी है तथा ATF की बिक्री भी बढ़ी है । जिसकी सराहना नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी की गई है एवं इसे दूसरे प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बताया गया है ।

छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ –10–1/2017/वाक/पांच (11), दिनांक 10.03.2017 द्वारा राज्य में रिज़नल कनेक्टिविटी योजना हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से आगामी 10 वर्ष की अवधि के लिए ATF पर वाणिज्यकर 4 % से घटाकर 1 % कर दिया गया है।

योजना अंतर्गत जगदलपुर तथा रायगढ़ एयरपोर्ट में IOCL को फ्यूल सप्लाई करने तथा अम्बिकापुर एवं बिलासपुर में BPCL को फ्यूल सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

दिनांक 14.06.2018 से उड़ान योजना अंतर्गत रायपुर–जगदलपुर–विशाखापटनम्–जगदलपुर–रायपुर वायु मार्ग कम्पनी एयर ओडिशा एविएशन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा विमान सेवा प्रारंभ किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विमानन विभाग में नियुक्त अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी ।

क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष क्रमांक
1.	श्री टामन सिंह सोनवानी अपीलीय अधिकारी	संयुक्त सचिव	0771–2510178 –2221308
2.	श्री सुरेश तिवारी जनसूचना अधिकारी	अवर सचिव	0771–2510099
3.	श्री मोहर साय कुजूर सहायक जनसूचना अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	9993731805

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विमानन संचालनालय में नियुक्त अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी ।

क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष क्रमांक
1.	श्री टामन सिंह सोनवानी अपीलीय अधिकारी	संचालक	0771–2510178 –2221308
2.	श्री अजय कुमार साण्डे जनसूचना अधिकारी	प्रशासकीय अधिकारी	0771–2510172
3.	श्री आर0 एम0 डॉमनिक सहायक जनसूचना अधिकारी	उप संचालक (प्रभारी) सह फोरमैन	0771–2274020

विगत वर्षों में राज्य विमानन क्षेत्र में विकास संबंधी जानकारी

- राज्य शासन द्वारा अम्बिकापुर हवाई पट्टी को 27.35 करोड़ रूपये, जगदलपुर हवाई पट्टी को 41 करोड़ रूपये एवं बिलासपुर हवाई पट्टी को 13.00 करोड़ रूपये से एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है।

- बलरामपुर में 13 करोड रूपए से नवीन हवाई पट्टी निर्माण किया गया है तथा जशपुर हवाई पट्टी का उन्नयन कार्य किया जा रहा है।

- रायपुर माना में नवीन शासकीय हैंगर का निर्माण 6.00 करोड़ रूपये में किया गया है तथा जगदलपुर में शासकीय हैंगर एवं बाउजऱ शेड का निर्माण 7.35 करोड़ रूपये में किया जा रहा है।

- विमानन विभाग द्वारा हेलीकॉप्टर लैडिंग की सुविधा विकसित करने राज्य के विभिन्न स्थानो में 73 पक्के हेलीपेड का निर्माण किया गया है।

- 07 हेलीपेड में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हेतु नाईट लैंडिंग की सुविधा भी विकसित की गई है तथा राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में सेना, CRPF, राज्य पुलिस एवं शासकीय उड़ान को सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर एवं विमान में ATF ईंधन रिफ्यूलिंग की सुविधा विकसित की गई है ।

- बस्तर क्षेत्र में नक्सल अभियान अंतर्गत सेना के आपातकालीन रात्रि उड़ान गतिविधियों हेतु जगदलपुर एयरपोर्ट में Night Landing सुविधा विकसित की गई है।

- प्रदेश में विमानन सेवाओं के विकास हेतु ज़्यादा एयरलाईन्स की सेवायें आकर्षित करने राज्य सरकार ने देश में सबसे पहले ATF पर VAT की दर 25% से घटाकर 4% किया था फलतः ATF की बिक्री जो वर्ष 2003 की स्थिति में 400 किलोलीटर थी वह वर्ष 2017–18 की स्थिति में बढ़कर 36500 किलोलीटर वार्षिक हो गई है जिससे VAT की दर घटाने से होने वाले राजस्व क्षति की भरपाई भी हुई है।

- ATF पर VAT की दर घटाने से राज्य से Flights की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी होने के कारण प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। राज्य से Scheduled Flights की संख्या जो राज्य स्थापना के समय करीब 06 थी वह आज बढ़कर 46 (23 Arrival-23 Departure) तथा Non-Scheduled Flights सहित 50 प्रतिदिवस हो गई है तथा विमान यात्रियों की संख्या जो वर्ष 2002–03 में 1 लाख थी वह 2017–18 की स्थिति में 13 लाख हो गई है।

- स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट माना को अर्न्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट मानक अनुरूप विकसित करने राज्य शासन ने 113 करोड़ के बजट प्रावधान से लगभग 500 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को निःशुल्क उपलब्ध कराया है , जिससे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा माना हवाई पट्टी में रनवे का विस्तार किया जा रहा है फलतः लैंडिंग सुविधा के कारण उड़ानों की संख्या में वृद्धि होने से राज्य से देश के अन्य शहरों की एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है ।

- बेहतर सुविधा प्रदान करने के मामले में स्वामी विवेकानन्द एयरपोर्ट माना को केन्द्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा विगत् 03 वर्ष लगातार **बेस्ट टूरिज्म अवार्ड** तथा गत् वर्ष **बेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन** अवार्ड प्रदान किया गया है।

- राज्य सरकार उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना अन्तर्गत प्रदेश के आम नागरिकों के लिए सस्ती विमान सेवा प्रारम्भ करने जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने ATF पर VAT की दर घटाकर 1% कर दिया है।
- उड़ान योजना अंतर्गत विमानन कम्पनी एयर ओडिशा एविएशन प्रायवेट लिमिटेड (ओडिशा) द्वारा दिनांक 14.06.2018 से राज्य में रायपुर–जगदलपुर –विशाखापट्नम घरेलू विमान सेवा प्रारंभ हुआ।
- उड़ान योजना अंतर्गत शीघ्र ही रायपुर–बिलासपुर–अम्बिकापुर मार्ग में सस्ती घरेलू विमान सेवा प्रारम्भ किया जाएगा।
- शासकीय हेलीकॉप्टर A109 एवं विमान B-200 का क्रय वर्ष 2007 में किया गया जिनके द्वारा शासकीय कार्य हेतु अब तक क्रमशः 2640 तथा 3100 घण्टे उड़ान सफलता पूर्वक भरी जा चुकी है।

————000————

छत्तीसगढ़ राज्य के एयरपोर्ट्स/हवाई पट्टियों की जानकारी

क्र.	जिला स्थान	इण्डिकेटर	रनवे की दिशा	रनवे की लंबाई (फिट में)	हवाई पट्टियों की समुद्र तल से उंचाई (फुट में)	हवाई पट्टियों के अक्षांश–देशांश	लैंड किये जा रहे विमान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंबिकापुर (दरिमा)	AMPUR	16/34	5330'x50'	1900′	उत्तर–2259.36 पूर्व–08311.33	B-200
2	बिलासपुर (चकरभाठा)	BLPUR	17/35	5290'x50'	900′	उत्तर–2159.64 पूर्व–08206.88	B-200
3	भिलाई (नंदिनी)	BHILAI	05/23	4500'x100'	900′	उत्तर–2118.00 पूर्व–08123.00	B-200
4	जगदलपुर	JDPUR	06/24	5575'x100'	1800′	उत्तर–1904.49 पूर्व–08202.25	B-200
5	जशपुरनगर (आगाडीह)	JSPUR	09/27	4000'x100'	2400′	उत्तर–2255.55 पूर्व–08413.87	B-200
6	रायगढ़ (कोड़ातराई)	RIGHK	12/30	4000'x50'	800′	उत्तर–2149.20 पूर्व–08321.49	B-200
7	कोरबा	KORBA	18/36	3500'x50'	1000′	उत्तर–2224.79 पूर्व–08243.16	B-200
8	रायगढ़ (जिन्दल)	RIGHJ	10/28	6600'x100'	800′	उत्तर–2156.30 पूर्व–08320.23	B-200
9	बलरामपुर	BLPUR	9/27	4000'x100'	2400′	उत्तर–2255.55 पूर्व–08413.87	B-200